बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!!संकल्प!!

संकल्प संख्या- मं0मं0(लेखा)मंत्रिपरिषद्-19/2006 284/ पटना-15, दिनांक-02/3/2020

विषय - माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री के निजी कर्मियों को मंत्रीगण के साथ यात्रा करने पर विभागीय संकल्प संख्या-122, दिनांक-26.03.2013 में प्रावधानित वर्त्तमान अधिसीमा को समाप्त करने तथा माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री के निजी कर्मी के अन्य यात्रा विपत्रों के भुगतान पर अधिसीमा रू0 3,00,000/- (तीन लाख) यथावत रखने के सम्बन्ध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-122, दिनांक-26.03.2013 में माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री के निजी कर्मियों को वार्षिक यात्रा भत्ता मद में अधिकतम रू0 3,00,000/- (तीन लाख) का व्यय अनुमान्य है। इसके अलावे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-665, दिनांक-23.05.2011 में यह प्रावधान है कि देश के भीतर हवाई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री/मंत्री अपने साथ एक आप्त सचिव/निजी सहायक को ले जा सकेंगे तथा इसके लिए बिहार यात्रा भत्ता नियमावली में अन्यथा प्रावधान होने पर भी ऐसे आप्त सचिव/निजी सहायक को हवाई यात्रा के लिए इकोनौमी क्लास का टिकट बुकिंग के दिन का न्यूनतम भाड़ा अनुमान्य है। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्रीगण के साथ यात्रा करने पर उनके निजी कर्मियों के यात्रा विपत्र भुगतान की अधिसीमा समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकार के माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री के निजी कर्मियों को मंत्रीगण के साथ यात्रा करने पर विभागीय संकल्प संख्या-122, दिनांक-26.03.2013 में प्रावधानित वर्त्तमान अधिसीमा को समाप्त करने तथा माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री के निजी कर्मी के अन्य यात्रा विपत्रों के भुगतान पर अधिसीमा रू0 3,00,000/- (तीन लाख) यथावत रखने का निर्णय लिया है।

3. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण गजट के अगले अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ0 दीपक प्रसाद)

प्रधान सचिव

02/03